भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 210
गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नए उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण</u>

210. श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सौर ऊर्जा की सहायता से नए उद्योग स्थापित करने और संबंधित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी योजना का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास सौर ऊर्जा की सहायता से नए उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, एमएनआरई सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए सौर पीवी तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (नाइस), गुरुग्राम के जरिए सूर्यमित्र कार्यक्रम कार्यान्वित करता है।

(ग) और (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

'नए उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 210 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए वर्तमान योजनाओं के ब्यौरे

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार इस समय उपलब्ध वित्तीय सहायता
क) रूफटॉप सौर कार्यक्रम (आरटीएस) चरण-II	केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान के जरिए आवासीय क्षेत्र में 4,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता वृद्धि। इसके अतिरिक्त, आरंभिक 18,000 मेगावाट आरटीएस क्षमता वृद्धि के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहन। यह कार्यक्रम, कार्यक्रम के लिए जारी कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए मांग आधारित और देश के सभी नागरिकों के लिए सुलभ है। **(i)** आवासीय क्षेत्र के लिए • 3 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 40 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) • 3 किलोवाट पीक से अधिक और 10 किलोवाट पीक तक की क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए • 500 किलोवाट पीक तक की समूह आवास सोसायटी (जीएचएस)/ आवासीय कल्याण समिति (आरडब्ल्यूए) क्षमता के लिए 20 प्रतिशत तक सीएफए (प्रति घर 10 किलोवाट पीक तक और कुल 500 किलोवाट पीक तक सीमित) **(ii)** डिस्कॉमों के लिए - बेसलाइन से अधिक क्षमता वृद्धि में उपलब्धियों के आधार पर, परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
ख) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना)	यह योजना, योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन के लिए मांग आधारित और देश के सभी किसानों के लिए सुलभ है। घटक-क: किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसानों, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और किसाना उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है।

	घटक-ख: ऑफग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। घटक-ग: (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (ii) फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण: सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण: एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है।
ग) सरकारी उत्पादकों द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।	प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सीपीएसयू/सरकारी संगठनों, संस्थाओं को 55 लाख रु. प्रति मेगावाट तक की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता।
घ) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक। संरचना विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रु. या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो।

*****